फर्द अहकाम

नियम 26

## अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

## शान मोहम्मद आदि बनाम हरपाल सिंह

किस्म मुकदमा 251 ए, आर.टी.ए. मु.न.

| | हुक्म कार्यवाही मय विवरण | |
|---|---|---|
| 27.5.2024 | पत्रावली आज नियत निर्णय पर बरोबरू हाजरी अधिवक्ता उभय पक्ष पेशी में ली गई। प्रार्थीगण शान, मोहम्मद आदि द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 251ए आरटीए में पेश कर निवेदन किया कि चक 39 एनजीसी प.न. 151/249 मु.न. 10 कि.न. 4 ता 7, 14 ता 17 खातेदारी भूमि प्रार्थी की है तथ इसी पत्थर लाइन के मु.न. 10 कि.न. 20 ता 24 अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से कि.न. 20 जो अप्रार्थी का है। प्रार्थीगण के अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि कि.न. 18, 19 में रास्ता स्वीकृत है किंतु कि.न. 17 में जाने के लिए रास्ता नहीं है कि.न. 17 में पहूंच के लिए कि.न. 20 में रास्ता होना जरूरी है। इसलिए प्रार्थीगण कि.न. 20 में एक गढ्ढा रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी है।<br>प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शिवराज सिंह खोसा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश किया ओर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र काबिज खारिज है। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति वकील प्रार्थीगण को रिसिव करवाई गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 पेश किया जो शामिल पत्रावली है।<br>प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कथन किया कि अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि चक 39 एनजीसी प.न. 151/249 मु.न. 10 कि.न. 20 में प्रार्थी की रास्ता मांग कतई जायज नहीं है क्योंकि पूर्व में एक प्रकरण अनवानी शान मोहम्मद बनाम बलराज सिंह प्र. न. 60/2017 जो इसी प्रार्थी द्वारा इसी न्यायालय में पेश किया और जो उक्त अनवानी में अप्रार्थी बलराज सिंह हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी हरपाल सिंह का सगा भ्राता है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अनवानी प्रकरण सं. 60/2017 का निर्णय दिनांक 20.06. 2018 द्वारा निर्णित कर प्रार्थी का अनुतोष स्वीकार किया और प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि चूंकि प्रार्थी द्वारा उसी विषयवस्तु के साथ पुनः एक बार प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खरिज है। साक्ष्य में प्रमाणित दस्तावेजों का अवलोकन करवाया गया।<br>प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को दोहराते हुए कथन किया कि 2017 में शान मोहम्मद द्वारा बलराज सिंह के खिलाफ प्रार्थना पत्र दायर किया जो बाद में राजीनामा आधार पर निस्तारित हो गया व प.न. 151/249 मु.न. 10 कि.न. 11, 12, 18, 19 में रास्ता भी स्वीकृत हो गया, लेकिन यह रास्ता व्यावहारिक नहीं है क्योंकि आवागमन में परेशानी होती है। ट्रेक्टर आदि मोड़ने पर बलराज सिंह आये दिन झगड़ा करता रहता है। कि.न. 20 में रास्ता स्वीकृत होने पर प्रार्थी अपनी इच्छा व सुविधा से आवागमन कर सकता है। इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 को खारिज कर प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाया जावें।<br>» हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। शामिल मिसल दस्तावेजों का गहराई से अवलोकन किया, अप्रार्थी पक्ष द्वारा अपने प्रा.पत्र के साथ संलग्न प्रमाणित दस्तावेज प्रा.पत्र शर्त सं. 8(2) उपनिवेशन अधिनियम अनवानी शान मोहम्मद बनाम बलराज सिंह का अध्ययन किया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी अपने अनुतोष मुताबिक प.न. 151/249 [illegible] कि.न. 11/0.0125, 12/0.006, 19/0.025, 18/0.0125 कुल 0.056 है. [illegible] निर्णय दिनांक 20.06.2018 द्वारा स्वीकृत हो चुका है। प्र.सं. 60/2017 में [illegible] प्रार्थी [illegible] पत्र प्रार्थी बलराज सिंह दिनांक 17.11.2017 का अवलोकन किया [illegible] सिंह द्वारा सुझाया गया कि प.न. 151/249 कि.न. 20 एक [illegible] नाम दर्ज है को प्रार्थना पत्र. में संयाजित शीर्षक कर कि.न. 18 ता 20 में नया रास्ता कायम किया जा सकता है, जवाब प्रार्थना पत्र द्वारा शान मोहम्मद का अवलोकन [illegible] जिसमें स्वयं शानमोहम्मद द्वारा स्वीकार किया गया गया कि कि.न. 20 व्यावहारिक नहीं है तथा अनावश्क पक्षकार के नाते हरपाल सिंह को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है।।<br>अतः यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पूर्व में प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत खसरान की आराजी से वांछित रास्ता चाहे जाने पर गुणावगुण आधार पर निर्णय पारीत कर जोत में पहूंच का रास्ता स्वीकृत किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा उसी प्रश्नगत भूमि कि.न. 20 जो | |

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.30 15:31:04 IST
Reason: SelfAttested

पहले प्रार्थना में उपयुक्त व व्यावहारिक नहीं था में से अपनी सुविधा की दृष्टि से रास्ता चाहा गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के मुख्य तीन आधार अत्यांतिक आवश्कता, वैकल्पिक मार्ग का नहीं होना और लघुतम दूरी के इतर सुविधा की दृष्टि से नये तथ्यों को पेश कर समान आराजी में नये सिरे से रास्ता मांग करने का प्रार्थी हकदार नहीं है, ऐसी मांग औचित्य पूर्ण व प्रासांगिक भी नहीं है। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी लंबित रहने के दौरान प्रार्थी द्वारा पेश किया प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 खारिज किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी उक्त वर्णित आधारों पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र 251 एं आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अधीन पोषणीय नहीं होने के कारण, इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.30 15:31:04 IST
Reason: SelfAttested